IV 1 36/22

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FX 598090

दस्तावेज़ (ट्रस्ट/न्यास)

यहकि मैं गुलाब चन्द यादव पुत्र स्व0 चन्द्रदेव यादव, ग्राम–ठकुरमनपुर, पोस्ट–मऊनाथ भंजन, तहसील–सदर, जनपद–मऊ (उ0प्र0) का मूल निवासी हूँ तथा बाबा रामस्वरूप शिक्षण सेवा संस्थान ट्रस्ट, ग्राम–खानपुर, पोस्ट–काझाखुर्द, तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ (उ0प्र0) का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर करते हुए अपने को मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक घोषित करता हूँ।

ट्रस्ट (न्यास) की विविध प्रतिबद्धता :

यह ट्रस्ट इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट ऐक्ट के वे समस्त नियम/उप नियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम	:	**बाबा रामस्वरूप शिक्षण सेवा संस्थान ट्रस्ट**
ट्रस्ट का पता	:	ग्राम–खानपुर, पोस्ट–काझाखुर्द, तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ।
ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय	:	ग्राम–खानपुर, पोस्ट–काझाखुर्द, तहसील–मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद–मऊ।
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत
ट्रस्ट निमार्ता (न्यासकर्ता)	:	गुलाब चन्द यादव

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की है–

क्र0सं0	नाम– पिता/पति का नाम	ट्रस्टी पद	पता	व्यवसाय
1	श्री गुलाब चन्द यादव पुत्र–स्व0 चन्द्रदेव यादव	मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक	ग्राम–ठकुरमनपुर, पोस्ट–मऊनाथ भंजन, तहसील–सदर, जनपद–मऊ (उ0प्र0)	समाजसेवी
2	श्रीमती पुष्पा यादव [illegible] यादव	महासचिव/अध्यक्ष	ग्राम–ठकुरमनपुर, पोस्ट–मऊनाथ भंजन, तहसील–सदर, जनपद–मऊ (उ0प्र0)	गृहिणी

Digitally signed by GULAB CHAND YADAV
Date: 2024.03.07 14:15:52 +05:30
Reason: reason
Location: location

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

निबन्धक मोहम्मदाबाद मऊ क्रम 2022251002291

आवेदन संख्या : 202200974001595

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2022-04-19 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम गुलाब चन्द यादव

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 50000 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क	500
2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क	100
3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क	
4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क	
5 . कमीशन शुल्क	
6 . विविध	
7 . यात्रिक भत्ता	
1 से 6 तक का योग	600

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2022-04-19 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2022-04-19 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
मुहम्मदाबाद गोहना
मऊ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598091

3	श्री शुभम् यादव पुत्र–श्री गुलाब चन्द यादव	कोषाध्यक्ष	ग्राम–ठकुरमनपुर, पोस्ट–मऊनाथ भंजन, तहसील–सदर, जनपद–मऊ (उ0प्र0)	समाजसेवी
4	श्री विनोद कुमार यादव पुत्र–स्व0 रामेश्वर सिंह यादव	उपाध्यक्ष	ग्राम–पहाड़पुर, पोस्ट–कहिनौर, जनपद–मऊ।	समाजसेवी
5	श्रीमती किरन चौधरी पत्नी–श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी	सदस्य	मु0–निजामुद्दीनपुरा, पोस्ट–मऊनाथ भंजन जनपद–मऊ।	गृहिणी
6.	श्री हरिकेश यादव पुत्र–श्री रामशरीख यादव	सदस्य	ग्राम व पोस्ट–दौलसेपुर, जनपद–मऊ।	समाजसेवी
7	श्री सुनील यादव पुत्र–श्री भरत यादव	सदस्य	ग्राम–ठकुरमनपुर, पोस्ट–मऊनाथ भंजन, तहसील–सदर, जनपद–मऊ (उ0प्र0)	समाजसेवी

ट्रस्ट का स्वरूप :

यह ट्रस्ट एक अलाभकारी, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, स्वैच्छिक संगठन है जो धर्म, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठ कर जनहित में कार्य करेगी। ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट सभी प्रकार के लोगों के विकास व लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्न मुख्य उद्देश्य होंगे–

- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं यानि प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज यानी उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, शैक्षणिक विद्यालय, चिकित्सा, शिक्षा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज, जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 प्रबन्धन, बी0एस0सी0, नर्सिंग, एम0एस0सी0 नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी0टी0सी0, नर्सिंग होम, आयुर्वेदिक कालेज, होम्योपैथिक कालेज, फारमेसी कालेजों, डी0 फार्मा, बी0 फार्मा एवं एम0 फार्मा तथा डॉक्ट्रेट के डिग्री कालेजों

 गुलाबचंद यादव

4/19/22, 2:37 PM

पुष्टि विलेख 52

no. 109 कि0 100 ता0 19/4/22
प्रयोजन आपवाद? आवेदन सं0: 202200974000595 गुलाबचन्द यादव पुत्र स्व0 चन्द्रदेव यादव
सा0 ठकुरमनपुर
म0ह0 स्वयं जनपद मऊ
रामेश्वर यादव ला0 नं0-95

मुहम्मदाबाद मऊ
STAMP 1
वर्ष 2022
2022
Sr.T.O.

न्यास पत्र

बही सं0 1 22

रजिस्ट्रेशन सं0: 36

प्रतिफल- 50000 स्टाम्प शुल्क- 1300 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 600

श्री गुलाब चन्द यादव , गुलाब चन्द यादव
पुत्र श्री स्व0 चन्द्रदेव यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम ठकुरमनपुर पो0 मऊनाथ भंजन, तह0 सदर जिला मऊ (उ0प्र0)

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 19/04/2022 एवं 02:34:39 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0के0राय
उप निबंधक मोहम्मदाबाद गोहना
मऊ
19/04/2022

निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

उप सब रजिस्ट्रार मुहम्मदाबाद गोहना जिला-मऊ
सत्यमेव जयते
* उत्तर प्रदेश *

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598092

की स्थापना तथा विधि महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना तथा म्यूजिक इण्टरटेनमेंट संस्थान की स्थपना करना आदि।

- ये संस्था समाज में निःस्वार्थ भाव से समाज का उत्थान करने के लिए चैरिटी कार्यक्रम भी समय–समय पर करती रहेगी। जिससे समाज का उत्थान निहीत है।
- मेरे उक्त संस्था का रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमीशन कार्यालय में आवश्यकतानुसार किया जायेगा। जो कमीशन के नियमानुसार कार्य करेगी।
- प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों, कौशल विकास सम्बन्धित सरकार की Short Term Course की स्थापना एवं संसाधन व आई0टी0आई0 विद्यालयों की स्थापना करना तथा विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा का देश–प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना व संस्थानों की स्थापना करना।
- बी0ए0, एम0ए0, बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0एल0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0, पालिटेक्निक कालेज, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों, कालेजों, मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों आदि की स्थापना करना। उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिवृद्धत करना।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनता को अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।
- इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार–प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाये विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकूलर्स) इसके कार्यों की प्रदर्शनी, परितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।

 गुलाब चन्द यादव

no. 110 कि० 180 ता० 19/4/22
प्रार्थना- उपधपलान अभिदरतावेज गुलाब चन्द यादव पुत्र स्व० चन्द्रदेव यादव सा० ठकुरमनपुर
तह० सदर जनपद- मऊ
रामेश्वर यादव स्टा0 नं0-95
[illegible]
14-4-22

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 36 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री गुलाब चन्द यादव, पुत्र श्री स्व0 चन्द्रदेव यादव

निवासी: ग्राम ठकुरमनपुर पो0 मऊनाथ भंजन, तह0 सदर जिला मऊ (उ0प्र0)

व्यवसाय: कृषि गुलाब चन्द यादव

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार यादव, पुत्र श्री स्व0 रामेश्वर सिंह यादव

निवासी: ग्राम पहाड़पुर पो0 कहिनौर जिला मऊ

व्यवसाय: कृषि विनोद कुमार यादव

पहचानकर्ता : 2

श्री सुनील यादव, पुत्र श्री भरत यादव

निवासी: ग्राम ठकुरमनपुर पो0 मऊनाथ भंजन मऊ

व्यवसाय: कृषि सुनील यादव

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

एस०के०राय
उप निबंधक : मोहम्मदाबाद गोहना
मऊ

निबंधक लिपिक

उप निबन्धक मुहम्मदाबाद गोहना जिला-मऊ उत्तर प्रदेश सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598093

- अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी, प्रसूति गृह बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में भी स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हें धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
- परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम।
- संस्था द्वारा विभिन्न नामों से अलग–अलग मेडिकल कालेजों, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालयों, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, इन्जीनियरिंग कालेजों, अतिथि गृह, होटलों, रेस्टोरेन्टों, युवाओं के प्रोत्साहन हेतु कौशल विकास की योजना संचालित करना आदि।
- विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बीमारियों जैसे एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियो, मोतियाबिन्द आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।
- उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीड़ा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, बार, धर्मशाला आदि की जनसामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हें चलाना तथा उनकी सहायता करना।
- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध आदि धर्मो के लोगों को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिए गुरूद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर, मुसाफिर खाना निर्मित करना और उसका प्रबन्धन करना तथा अल्प संख्यकों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं का संचालन करना और मन्दिर में पूजा के लिए मूर्तियां लगवाना।
- विचारकों, विधवाओं, अन्धों, वृद्धों, गरीबों, जरूरतमंदों, अभावगस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम, गृह धर्मशाला, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम, गृह आनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता करना।
- शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन, कपड़ा आदि देकर सहायता की जाय।
- अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।

 गुलाब चंद यादव

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598094

- अनाथ, गरीब, विकलांग बच्चों हेतु आवासीय/अनावासीय विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना।
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार के विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रूप में सहभागिता करना।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, भ्रष्टाचार निरोध, मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित कार्य, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छिकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, चिकित्सा, फाइव स्टार होटल, कम्प्यूटर, कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा के लिए संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, चीनी मिल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, दवा की फैक्ट्री, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, सीनेमा हाल, विभिन्न प्रकार के मॉल, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंज, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिज फर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उ द्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति मत्स्य, विकलांग कल्याण पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायत राज, बैंकिंग, भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकर्ता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वैच्छिक, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियों, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाएं, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिगोट सेसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता संरक्षण, भूमि सुधार, मण्डारा, विचार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएं आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। अल्पसंख्यक संस्था के रूप में सरकार से सहायता प्राप्त करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598095

- उपभोक्ता सभी क्रिया–कलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय ट्रस्टो तथा जागरूक व्यक्तियों सें अनुदान/मदद प्राप्त करना ।
- अनुदान/दान आदि प्राप्त करनें के लिए न्यास परिषद/मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे ।
- ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना तथा दान एवं अन्य सहयोग लेकर समय–समय पर ट्रस्ट की सम्पत्ति में वृद्धि करना ।
- ग्रामिण/शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के क्षेत्रों में व्यवसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण देना एवं गरीब/कमजोर/अनाथ युवक/युवतियों को स्वावलम्बित बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं में गैर सरकारी संस्थां (एन0जी0ओ0) के रूप में कार्य करना ।
- छात्र/छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, वृद्धों, विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधायें भी हो ।
- न्यास/ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, गैर सरकारी बैंक से लोन आदि ले सकती है। यह ट्रस्ट अलाभकारी संस्था है।

न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियाँ–

न्यास/ट्रस्ट उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक **श्री गुलाब चन्द यादव** द्वारा दिये गये पचास हजार रूपये (रू0 50,000/–) को ट्रस्ट का मूल राशि कहा जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्था के पास कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है।

- ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियाँ धारण करेंगी।
- ट्रस्ट/न्यास के सहयोग के लिए आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य कोई भूमि, भवन किसी रूप में शर्तों के साथ या बिना शर्तो के स्वीकार करना।
- इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्यास की सम्पत्तियाँ तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयोग करना।
- न्यास राशि को बढानें हेतु न्यास की शर्तो के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त करना।

 गुलाब चन्द यादव

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598096

- न्यास के उद्देश्यों कि प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का क्रय, विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना लाईसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।
- विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौंता करना, तथा अनुबन्ध करना, तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।
- न्याय के उद्देश्यों हेतु मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम द्वारा अनुदान प्राप्त करना या देना तथा उसकी रसीद देना या प्राप्त करना ।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्यूनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकर के मुकदमें वाद, अपील, रिव्यू चाहें वह न्यायालय कें समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष आदि को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादो में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्ति करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायलय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- न्यास कि सम्पत्ति या क्रिया–कलापो के जरूरी प्रावधान के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझें उनका वहन करना ।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलानें कि व्यवस्था।
- न्यास परिषद कि सहमति पर अपनी कुछ शक्तियों को किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व हेतु प्रदान करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598097

- ट्रस्ट/न्याय की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो।
- न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- न्यासीगणों की सहमति से निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना।
- न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तों, दावों, मॉग मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने, मध्यस्थ को सौंपने तथा समायोजित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाएं बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यासों द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया-कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाएं तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।
- जनहित में किसी भी मूर्त संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना, पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।
- न्यास की आय न्यास की विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना।
- देश व विदेश में ऐसे न्यास, न्यास मूर्त संस्थायें/सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ऐसे न्यासों, न्याय पूर्व संस्थाओं/समितियों/संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।
- संस्था के खातों को व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्य कलापों, कार्यवाहियों, मॉगों दावों या वाद-विवाद में जैसा व उचित समझे समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसले हेतु सौंपना।
- न्यास की सहमति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना, ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तों का निर्धारण न्यासीकरण की विवेकानुसार किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 598098

- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी सहकारी संस्थाएं, कार्पोरेशन कम्पनी राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहायता प्राप्त बैंकों व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तों को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्त तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्ते इत्यादि करना।
- न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।
- न्यास की शाखा या उसकी अन्य शाखा (जिसके उद्देश्य समान हों) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हें इस न्यास को जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ऐसे संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबन्धित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्ते लागू करना।
- इस न्यास में जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है को खरीदना व प्राप्त करना।
- न्यास की सम्पत्ति, आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति, संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्यास या संगठन को उन शर्तों में सौपना जिन्हें न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस सम्बन्ध में संस्थापक मुख्य ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उनमोचित हो जायेगें और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।
- न्यास के आवर्तक व अनावर्तक व होने वाले खर्चों को निश्चित करना, उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते हैं और उन नियमों का समय-समय पर संशोधित कर सकते हैं। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम संस्थापक ट्रस्टी प्रथम द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होगें।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 653522

- न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्धन न्यासी व समिति आदि शामिल है को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।
- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते हैं, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।
- न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता, व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उनके शर्तों पर ले सकते हैं जो उन्हें उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।
- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेंगे और बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेंगे।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

ट्रस्ट का कार्यकाल :

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। संस्थापक ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी **उनकी पत्नी मुख्य पद को धारण करेंगी तथा उनके बाद उनके पुत्र/पौत्र या पुत्र वधु, पुत्री** क्रमशः जो जिवित्त हो तथा क्रमशः वंशानुगत जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर उक्त में इसी परिवार में से वंशानुगत जो भी हो मुख्यट्रस्टी के पद को धारण करेगा तथा इसके उपरान्त इनमें से किसी के न रहने पर यथा स्थिति स्पष्ट न होने की दशा में ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा मान्य होगा।

ट्रस्ट की सदस्यता :

ट्रस्ट में **मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक, महासचिव/अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्यों** को मिलाकर कुल संख्या 07 होगी एवं ट्रस्ट में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक की सहमति से पाँच हजार रूपये (रू0 5,000/-) सदस्यता शुल्क जमा करा कर नये न्यासी सदस्य बनाया जा सकता है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 653523

से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे किन्तु प्रबन्धक पद मुख्यट्रस्टी का होगा एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम् कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। इस सदस्य को साधारण सदस्य कहा जायेगा। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग ट्रस्ट को पाँच हजार रूपये (रू0. 5,000/–) का दान देकर, संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के लिखित सहमति के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 होगी ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में निम्न पदाधिकरी होंगे। **मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक, महासचिव/अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्यों**, परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्ट/मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी यही होंगे।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/अध्यक्ष–

1. ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों को बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।
2. मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।
3. ट्रस्ट के नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप में प्रदान करना।
4. ट्रस्ट/न्यास से सम्बन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हों) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना।
5. न्यास के सभी पत्राचार मुख्य ट्रस्टी के नाम होंगे।
6. न्यास की समस्त राशियों का व बैंक खातों का संचालन संस्थापक ट्रस्टी के हस्ताक्षर से होगा।
7. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में प्रस्तुत करना।
8. जहाँ कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहाँ अन्तिम निर्णय देना।
9. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि, भवन का क्रय विक्रय, लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।
10. मुख्य ट्रस्टी चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 653524

11. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है।
12. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खास्तगी, वेतनमान निर्धारित करना, पुरस्कृत करना, पदोन्नति करना, आचरण पुस्तिका व सेवा पुस्तिका पर हस्ताक्षरित करना एवं इस कार्य हेतु यह अधिकार अन्य को नामित करने का अधिकार होगा संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित होगा।
13. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी भी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है। यह प्राविधान संस्थापक, मुख्य ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
14. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।
15 ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में मुख्यट्रस्टी द्वारा सभी पदाधिकारियों के कार्यों का बटवारा किया जायेगा।
16. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में मान्यता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय/प्राधिकरणों का नियम/परिनियम लागू होगा।

मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक–

मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सभी बैठकों की अध्यक्षता किया जायेगा तथा मुख्य ट्रस्टी के निर्देशानुसार कार्यों का संपादन किया जायेगा।

सदस्य ट्रस्टी :–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में निःस्वार्थ हित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग :–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी–

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन) :–

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें इसके अतिरिक्त 5,000–रू0 संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिनकी अधिकतम संख्या 15

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 653525

होगी। ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं में प्रबन्ध समिति में निम्न पदाधिकारी होंगे। **मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक, महासचिव/अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्य।**

बैठकें –

1. **साधारण बैठकें**–ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व दिसम्बर माह में होगी।
2. **विशेष बैठक**–दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना–

साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का संस्थापक/मुख्यट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठकें बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति–

बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन–

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य–साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(क) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।
(ख) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के योजना एवं बजट निश्चित करना।
(ग) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।
(घ) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यो को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 653526

गठन–

साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे **मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक, महासचिव/अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्य।** मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक नियमानुसार जबकि सदस्य पद कमेटी ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु प्रबन्धक पद मुख्य ट्रस्टी का होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वहीं प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य–सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का अध्यक्ष ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष–विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुलाएगा।

सूचना अवधि–साधारण स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी समिति संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का संस्थापक मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति–प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 5,000/–रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबधकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें–

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 653527

2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा क सामने प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग, अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। इस कार्य हेतु मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक का लिखित सहमति आवश्यक होगी।

ट्रस्ट (न्यास) के कोष–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसके खातों का संचालन मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

विवादित स्थिति पर निर्णय –

ट्रस्ट (न्यास) में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट व दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होगें और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनित कर सकते है और ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगें।

ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख–

ट्रस्ट (न्यास) क समस्त अभिलेख जैसे– सूचना रजिस्टर, सदस्यता, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्यट्रस्टी के पास होगें।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 653528

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जायेगा।

अनुशासनात्मक कार्यवाही–

ट्रस्ट (न्यास) के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नहीं होता तो वह संयुक्त समिति में इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है। उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन अध्यक्ष के नाम प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह तीन माह के अन्दर संयुक्त समिति बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करेगा। संयुक्त समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनित व्यक्ति करेगें, और संयुक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

ट्रस्ट के सामान्य नियम–

1. ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति में 4 पदाधिकारी **मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक, महासचिव/अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्य** होंगे जो ट्रस्ट के संचालन के उत्तरदायी होंगे।
2. ट्रस्ट के कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे एवं अन्त में मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे।
3. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्यतः एक सप्ताह पूर्व एजेन्डा द्वारा या प्रमाणित साधन ट्रस्टी अथवा अन्य द्वार दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलायी जा सकती है।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं पर सभी नियम/परिनियम सम्बन्धित निकाय/विश्वविद्यालय/यू0जी0सी0, एन0सी0टी0ई0, परीक्षा नियामक प्राधिकरण/उ0प्र0 शासन भारत सरकार/मेडिकल कौंसिल, बार कौंसिल, मा0 शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा या जिस भी या प्राधिकरण अथवा निकाय से सम्पादित हो, लागू होगा तथा परिनियमावली में जो व्यवस्था दी गयी है उसके अनुसार संचालन किया जायेगा एवं पालन किया जायेगा तथा उस संस्थान के अनुसार प्रशासन योजना तैयार की जायेगी एवं नियामानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17

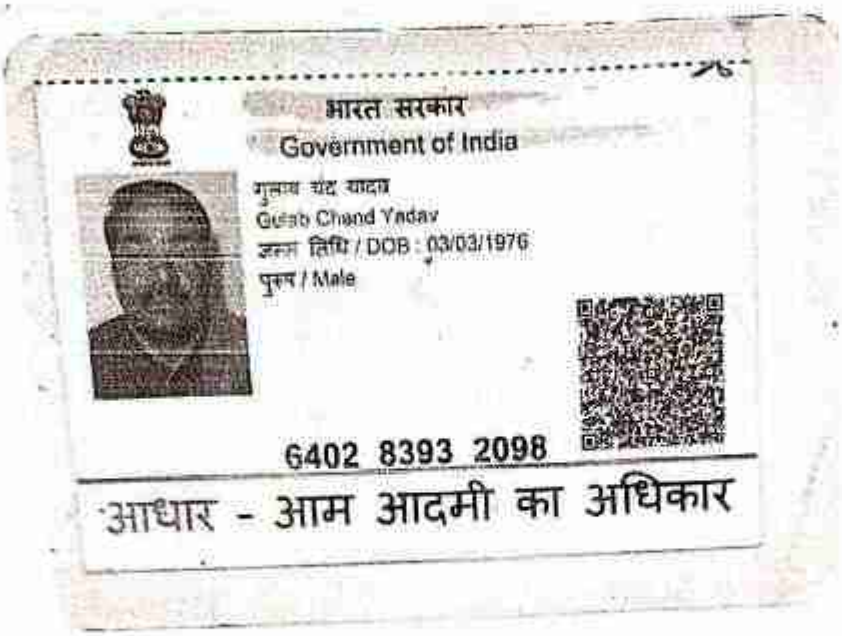

भारत सरकार

Government of India

गुलाब चंद यादव

Gulab Chand Yadav

जन्म तिथि / DOB : 03/03/1976

पुरुष / Male

6402 8393 2098

आधार - आम आदमी का अधिकार

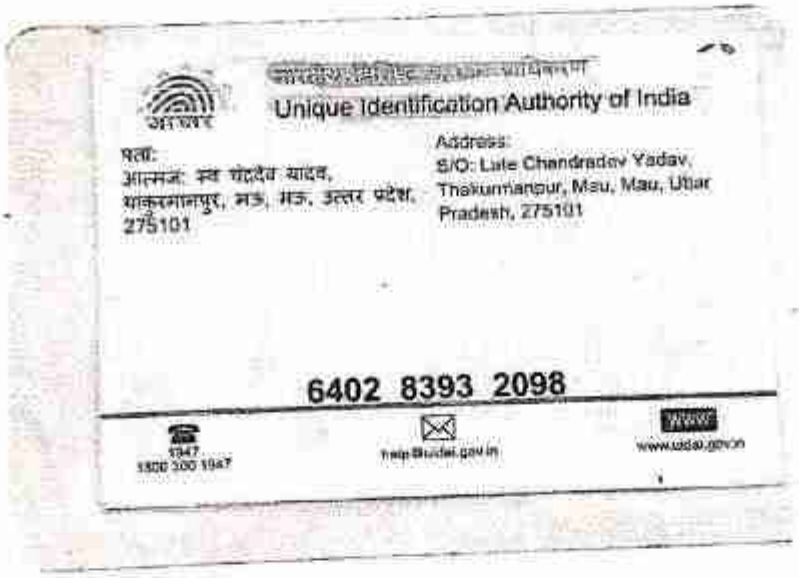

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
आत्मज: स्व चंद्रदेव यादव,
ठाकुरमानपुर, मऊ, मऊ, उत्तर प्रदेश,
275101

Address:
S/O: Late Chandradev Yadav,
Thakurmanpur, Mau, Mau, Uttar
Pradesh, 275101

6402 8393 2098

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

गुलाबचन्द यादव

भारत सरकार
Government of India

विनोद कुमार यादव
Vinod Kumar Yadav
जन्म तिथि / DOB : 10/10/1987
पुरुष / Male

8061 3592 5723

मेरा आधार, मेरी पहचान

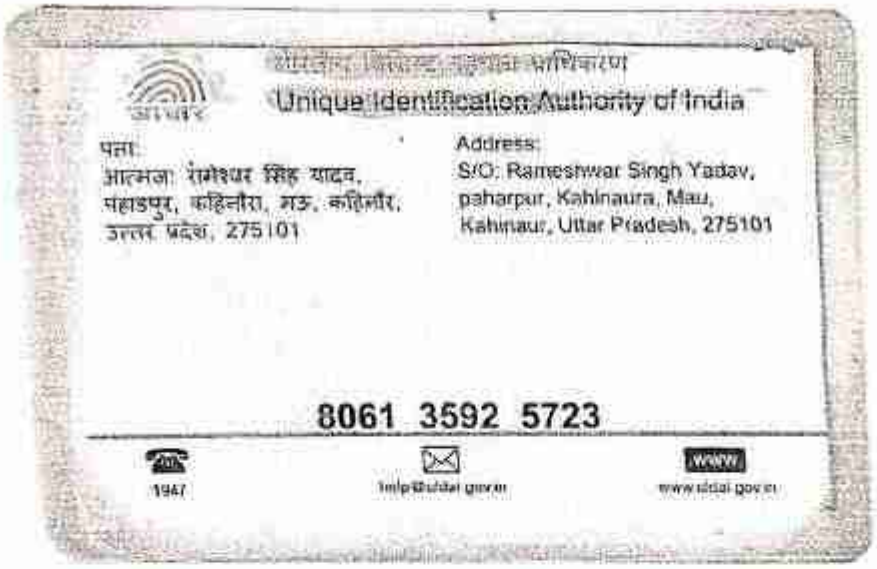

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
आत्मजा: रामेश्वर सिंह यादव,
पहाड़पुर, कहिनौरा, मऊ, कहिनौर,
उत्तर प्रदेश, 275101

Address:
S/O: Rameshwar Singh Yadav,
paharpur, Kahinaura, Mau,
Kahinaur, Uttar Pradesh, 275101

8061 3592 5723

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

विनोद कुमार यादव

भारत सरकार
Government of India

Download Date: 28/03/2020

सुनील यादव
Sunil Yadav
जन्म तिथि/DOB: 05/06/1996
पुरुष/ MALE

Issue Date: 10/02/2018

3640 5069 8023

VID : 9192 1702 8054 0953

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: भरत यादव, 221, ठकुरमनपुर, ठकुरमनपुर, मऊनाथ भंजन, थाकुरमानपुर, मऊ,
उत्तर प्रदेश - 275101

Address:
S/O: Bharat Yadav, 221, Thakurmanpur,
Thakurmanpur, maunath Bhanjan,
Thakurmanpur, Mau,
Uttar Pradesh - 275101

3640 5069 8023

VID : 9192 1702 8054 0953

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

सुनील यादव

20

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 653529

वाद तथा प्रतिवाद–

ट्रस्ट (न्यास) से सम्बन्धित समस्त प्रकार के वाद–प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद–मऊ (उत्तर प्रदेश) तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद–विवाद, प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद–प्रतिवाद की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनित कर सकता है।

विघटन–

अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक का होगा। ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक– 17-05-2026

मसौदाकर्त्ता/टाइपकर्त्ता–श्रवण कुमार चौहान, भीटी, मऊ।

हस्ताक्षर गवाह–

9450285358
कविनोद कुमार यादव पुत्र स्व० रामेश्वर सिंह यादव
ग्रा० पकड़ी पो० कहिनौर
जिला - मऊ

9450760007
सुशील यादव पुत्र भरत यादव
ग्राम ठकुरमनपुर पो० ...
जनपद - मऊ